रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 422] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 22, 1983/भाद्र 31, 1905
No. 422] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 22, 1983/BHADRA 31, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1983

सं. 269/83-सीमाशुल्क

का.आ. 680(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बंगलौर विमान पत्तन को, आयातित माल के उतारने के और निर्यातित माल के या ऐसे

माल के किसी वर्ग के लादने के प्रयोजनों के लिए सीमाशुल्क विमान पत्तन नियत करती है ।

[फा. सं. 481/20/83-सी. शु. 7]
ए. के. छाबड़ा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 1983

NO. 269/83-CUSTOMS

S.O. 680(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby appoints Bangalore Airport as a Customs Airport for the purposes of unloading of imported goods and the loading of export goods or any class of such goods.

[F. No. 481/20/83-CUS.VII]
A. K. CHHABRA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983